

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति" की सम्पन्न हुई 19वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2021 का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति" की 19वीं बैठक श्रीमती अपर्णा उपाध्याय, मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 09 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे जूम के माध्यम से सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही:-

- |     |   |   |                |
|-----|---|---|----------------|
| (1) | डा० लिली सिंह,<br>महानिदेशक<br>परिवार कल्याण महानिदेशालय,<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ।                              | - | संयोजक         |
| (2) | डा० अश्विनी कुमार,<br>संयुक्त निदेशक(प०क०),<br>परिवार कल्याण महानिदेशालय,<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ।              | - | सदस्य सचिव     |
| (3) | डा० शुभ्रा सिंह,<br>कन्सल्टेंट(स्त्री रोग विशेषज्ञ)<br>वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय,<br>गोलागंज, लखनऊ। | - | सदस्य          |
| (4) | डा० ए०के० शर्मा,<br>वरिष्ठ परामर्शदाता, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,<br>हजरतगंज, लखनऊ।            | - | सदस्य          |
| (5) | डा० रिकू श्रीवास्तव,<br>महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन),<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ।       | - | विशेष आमंत्रित |

dr

- (6) श्री अरविन्द उपाध्याय,  
कन्सलटेंट(परिवार नियोजन),  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
- विशेष आमंत्रित
- (7) श्रीमती मनीषा खोसला,  
प्रधान सहायक,  
परिवार कल्याण महानिदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
- विशेष आमंत्रित

अध्यक्ष, महोदया की अनुमति से डा० अश्विनी कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक प्रारम्भ करते हुये एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये:-

**एजेण्डा मद संख्या:-01**  
**(गत् बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2020 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)**

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत् बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2020 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। मिशन निदेशक महोदया द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**एजेण्डा मद संख्या:-02**  
**(प्रगति का विवरण)**

डा० अश्विनी कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01 अप्रैल 2013 से लागू परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत गठित "परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी उपसमिति" की अब तक कुल 18 बैठकें सम्पन्न हो चुकी है। योजना के प्रारम्भ से अब तक राज्य स्तर पर कुल प्राप्त क्लेम फार्मों व उनके सापेक्ष निस्तारित दावा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:-

- |   |      |
|---|------|
| (1) विगत बैठकों में समिति के समक्ष प्रस्तुत दावा प्रपत्रों की संख्या:-  | 4044 |
| (2) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष स्वीकृत दावों की संख्या:- | 3208 |

*ds*

(3) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष अस्वीकृत दावों की संख्या:-

836

(4) परीक्षणोपरान्त आज की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2021 में निस्तारणार्थ प्रस्तुत दावों की संख्या:-

364

एजेण्डा मद संख्या:-03  
(बैठक में प्रस्तुत किये गये विभिन्न जनपदों से प्राप्त दावा प्रपत्रों का विवरण)

क्र० सं०	जनपद का नाम	प्रस्तुत दावों का विवरण			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण	दावा प्राप्त जटिलता	मृत्यु	
1	हरदोई	27	0	0	27
2	औरैया	6	1	0	7
3	अयोध्या	1	0	0	1
4	बरेली	7	0	0	7
5	फर्रुखाबाद	6	0	0	6
6	कानपुर देहात	2	0	0	2
7	फिरोजाबाद	2	0	0	2
8	रामपुर	3	0	0	3
9	मैनपुरी	13	0	0	13
10	बाराबंकी	33	0	0	33
11	गाजीपुर	6	0	0	6
12	देवरिया	42	0	0	42
13	इटावा	12	0	0	12
14	सन्तकबीर नगर	5	0	0	5
15	सीतापुर	22	0	0	22
16	मिर्जापुर	4	0	0	4
17	गोण्डा	10	0	0	10
18	अमरोहा	36	0	0	36

19	सुल्तानपुर	5	0	0	0	5
20	पीलीभीत	14	1	0	0	15
21	आजमगढ़	18	0	0	0	18
22	बुलन्दशहर	8	0	0	0	6
23	बिजनौर	12	1	0	0	13
24	आगरा	8	0	0	0	7
25	उन्नाव	8	0	0	0	8
26	झांसी	9	0	0	0	9
27	वाराणसी	11	0	0	0	11
28	एटा	7	0	0	0	7
29	गोरखपुर	3	0	0	0	3
30	बाँदा	3	0	0	0	3
31	हाथरस	2	0	0	0	2
32	लखनऊ	3	0	0	0	3
33	हमीरपुर	0	0	1	1	1
34	महोबा	0	0	1	1	1
35	मथुरा	1	0	0	0	1
36	प्रतापगढ़	8	0	0	0	8
37	हापुड़	1	0	0	0	1
38	शाहजहाँपुर	1	0	0	0	1
	योग	359	3	2	2	364

एजेण्डा मद संख्या:-04

(आज की बैठक में समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

महानिदेशालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 359, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 02 कुल 364 दावा प्रपत्रों का समिति द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त 364 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 359 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये हैं, शेष 05 क्लेम फार्म अस्वीकृत किये गये, स्वीकृत/अस्वीकृत क्लेम फार्मों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

*dk*

1. हरदोई:-

जनपद हरदोई से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 16 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 11 कुल 27 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 27 क्लेम फार्मों के सापेक्ष 27 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

2. औरैया:-

जनपद औरैया से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01, जटिलता के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 कुल 07 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 07 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 07 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

3. अयोध्या:-

जनपद अयोध्या से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के कुल 01 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया, जिसका कारण निम्नवत है:-

- श्रीमती पूनम पत्नी श्री रघुनाथ निवासी ग्राम वं पोस्ट खण्डासा जनपद अयोध्या के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त लाभार्थी को गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 05.07.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 04.01.2020 को किया गया (लगभग 05 माह बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543/पंच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु संख्या-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा क्लेम फार्म जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य होगी।

4. बरेली:-

जनपद बरेली से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 05 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 02 कुल 07 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 07 क्लेम फार्म के सापेक्ष 07 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

5. फर्रुखाबाद:-

जनपद फर्रुखाबाद से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 कुल 06 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 06 क्लेम फार्म के सापेक्ष 06 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

6. कानपुर देहात:-

जनपद कानपुर देहात से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 कुल 02 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 02 क्लेम फार्म के सापेक्ष 02 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।



**7. फिरोजाबाद:-**

जनपद कानपुर देहात से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 कुल 02 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 02 क्लेम फार्म के सापेक्ष 02 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**8. रामपुर:-**

जनपद रामपुर से वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 03 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 क्लेम फार्म के सापेक्ष 03 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**9. मैनपुरी:-**

जनपद मैनपुरी से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 10 कुल 13 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 13 क्लेम फार्म के सापेक्ष 13 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**10. बाराबंकी:-**

जनपद बाराबंकी से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 13 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 19 कुल 33 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 33 क्लेम फार्मों के सापेक्ष 29 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये। शेष 02 क्लेम फार्म अस्वीकृत किये गये, जिसका कारण निम्नवत है:-

■ श्रीमती अनीता पत्नी श्री राजू निवासी धरसण्डा सूरजपुर बीकाडोर राम स्नेही घाट जनपद बाराबंकी के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 11.05.2020 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 31.08.2020 को किया गया (लगभग 110 दिन बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543/पॉच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु संख्या-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा क्लेम फार्म जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य होगी।

■ श्रीमती रजनी पत्नी श्री देशराज निवासी तोराई गॉव जनपद बाराबंकी के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 10.09.2018 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 12.12.2019 को किया गया (लगभग 14 माह बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543/पॉच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु संख्या-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा क्लेम फार्म जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य होगी।

11. गाजीपुर:-

जनपद गाजीपुर से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 कुल 06 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 06 क्लेम फार्म के सापेक्ष 06 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

12. देवरिया:-

जनपद देवरिया से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 19 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 23 कुल 42 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 42 क्लेम फार्म के सापेक्ष 42 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

13. इटावा:-

जनपद इटावा से वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 12 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 12 क्लेम फार्म के सापेक्ष 12 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

14. सन्तकबीर नगर:-

जनपद सन्तकबीर नगर से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 02 कुल 05 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 05 क्लेम फार्म के सापेक्ष 05 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

15. सीतापुर:-

जनपद सीतापुर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 11 एवं वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के क्लेम फार्म 09 कुल 22 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 22 क्लेम फार्मों के सापेक्ष 21 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये। शेष 01 क्लेम फार्म अस्वीकृत किये गये, जिसका कारण निम्नवत है:-

- श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री गया प्रसाद निवासी ग्राम निबोरी लहरपुर जनपद सीतापुर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 11.05.2020 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 31.08.2020 को किया गया (लगभग 110 दिन बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543/पॉच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु संख्या-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा क्लेम फार्म जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य होगी।

16. मिर्जापुर:-

जनपद मिर्जापुर से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 04 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 04 वलेम फार्म के सापेक्ष 04 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

17. गोण्डा:-

जनपद गोण्डा से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 03 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 वलेम फार्म के सापेक्ष 10 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

18. अमरोहा:-

जनपद अमरोहा से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 14 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 22 कुल 36 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 36 वलेम फार्म के सापेक्ष 36 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

19. सुल्तानपुर:-

जनपद सुल्तानपुर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 05 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 05 वलेम फार्म के सापेक्ष 05 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

20. पीलीभीत:-

जनपद पीलीभीत से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 09, जटिलाता के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 15 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 15 वलेम फार्म के सापेक्ष 15 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

21. आजमगढ़:-

जनपद आजमगढ़ से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 09 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के कुल 18 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 18 वलेम फार्म के सापेक्ष 18 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

*dk*



**22. बुलन्दशहर:-**

जनपद बुलन्दशहर से वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 08 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 क्लेम फार्म के सापेक्ष 08 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**23. बिजनौर:-**

जनपद बिजनौर से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 03, जटिलता के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 05 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 कुल 13 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 13 क्लेम फार्म के सापेक्ष 13 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**24. आगरा:-**

जनपद आगरा से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 कुल 08 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 क्लेम फार्म के सापेक्ष 08 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**25. उन्नाव:-**

जनपद उन्नाव से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 06 कुल 08 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 क्लेम फार्म के सापेक्ष 08 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**26. झाँसी:-**

जनपद झाँसी से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 06 कुल 09 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 09 क्लेम फार्मों के सापेक्ष 08 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये। शेष 01 क्लेम फार्म अस्वीकृत किये गये, जिसका कारण निम्नवत है:-

- श्रीमती हेमलता पत्नी श्री दिनेश सेन निवासी ग्राम अतवेई पोस्ट सिमथरी तहसील मोंठ जनपद झाँसी के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 22.07.2019 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम दिनांक 05.03.2020 को किया गया (लगभग 07 माह बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543/पॉच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु संख्या-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा क्लेम फार्म जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य होगी।

dk

27. वाराणसी:-

जनपद वाराणसी से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 08 कुल 11 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 11 क्लेम फार्म के सापेक्ष 11 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

28. एटा:-

जनपद एटा से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 06 कुल 07 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 07 क्लेम फार्म के सापेक्ष 07 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

29. गोरखपुर:-

जनपद गोरखपुर से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 कुल 03 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 क्लेम फार्म के सापेक्ष 03 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

30. बांदा:-

जनपद बांदा से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के कुल 03 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 क्लेम फार्म के सापेक्ष 03 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

31. हाथरस:-

जनपद हाथरस से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के कुल 02 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 02 क्लेम फार्म के सापेक्ष 02 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

32. लखनऊ:-

जनपद लखनऊ से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के 02 कुल 03 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 क्लेम फार्म के सापेक्ष 03 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

33. हमीरपुर:-

जनपद हमीरपुर से वर्ष 2019-20 के मृत्यु के कुल 01 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 क्लेम फार्म के सापेक्ष 01 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

*dh*

**34. महोबा:-**

जनपद महोबा से वर्ष 2019-20 के मृत्यु के कुल 01 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 क्लेम फार्म के सापेक्ष 01 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**35. मथुरा:-**

जनपद मथुरा से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के कुल 01 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 क्लेम फार्म के सापेक्ष 01 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**36. प्रतापगढ़:-**

जनपद प्रतापगढ़ से वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02 कुल 08 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 क्लेम फार्म के सापेक्ष 08 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**37. हापुड़:-**

जनपद हापुड़ से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के कुल 01 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 क्लेम फार्म के सापेक्ष 08 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**38. शाहजहाँपुर:-**

जनपद शाहजहाँपुर से वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के कुल 01 क्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 क्लेम फार्म के सापेक्ष 08 क्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

**एजेण्डा मद संख्या:-05**

**(गत् बैठक दिनांक 31.10.2020 में स्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों में से 27 (23 गर्भधारण व 04 मृत्यु) दावों का भुगतान धनराशि रू० 29,80,000/- जनपदों को किये जाने पर निर्णय।**

गत् बैठक दिनांक 31.10.2020 में स्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों में से 27 (23 गर्भधारण व 04 मृत्यु) दावों का भुगतान धनराशि रू० 29,80,000/- जनपदों को किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्बन्धित जनपदों को लम्बित कुल धनराशि रू० 29,80,000/- में से एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को धनराशि रू० 14,90,000 को अवमुक्त कर दी जायेगी। शेष धनराशि का भुगतान भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

*dm*



21	विजनाौर	0	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	1	8	25000	150000	0	0	0	0	240000	25000
22	आगरा	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	5	0	90000	0	60000	0	0	150000	0
23	उन्नाव	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	0	30000	0	60000	0	0	90000	0
24	झाँसी	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	5	0	60000	0	90000	0	0	150000	0
25	वाराणसी	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	6	0	60000	0	12000	0	0	180000	0
26	एटा	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	150000	0	0	0	0	180000	0
27	गोरखपुर	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30000	0	0	0	0	90000	0
28	बादा	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	60000	0	0	0	0	90000	0
29	हाथरस	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	90000	0	0	0	0	90000	0
30	लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	2*	0	0	0	0	2	0	60000	0	0	0	0	60000	0
31	हमीरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	महोबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	मथुरा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30000	0	0	0	0	30000	0
34	प्रतापगढ़	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	8	0	60000	0	0	0	0	240000	0
35	हापुड़	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30000	0
36	शाहजहाँपुर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30000	0
	योग	6	16	36	1	107	2	69	0	234	3	180000	480000	1080000	250000	3210000	36971	2070000	0	7020000	61971	

बिन्दु संख्या:2 मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2019 से नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु सम्बन्धित प्रकरणों में पूर्व में प्रदान की जा रही धनराशि को दुगुनी किये गये व्यवस्थानुसार:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत दावा प्रपत्र		कुल स्वीकृत दावा प्रपत्रों का विवरण		वलेम धनराशि		स्वीकृत धनराशि	
		गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु
1	हरदोई	9	0	9	400000	60000	400000	540000	0
2	औरैया	3	0	3	400000	60000	400000	180000	0
3	बरेली	3	0	3	400000	60000	400000	180000	0
4	फर्रुखाबाद	2	0	2	400000	60000	400000	120000	0
5	फिरोजाबाद	1	0	1	400000	60000	400000	60000	0

AM


6	रामपुर	2	0	2	60000	400000	120000	0
7	मैनपुरी	7	0	7	60000	400000	420000	0
8	बाराबंकी	8	0	8	60000	400000	480000	0
9	गाजीपुर	6	0	6	60000	400000	360000	0
10	देवरिया	11	0	11	60000	400000	660000	0
11	इटावा	6	0	6	60000	400000	360000	0
12	मिर्जापुर	1	0	1	60000	400000	60000	0
13	गोण्डा	4	0	4	60000	400000	240000	0
14	अमरोहा	21	0	21	60000	400000	1260000	0
15	सुल्तानपुर	1	0	1	60000	400000	60000	0
16	पीलीभीत	5	0	5	60000	400000	300000	0
17	बुलन्दशहर	8	0	8	60000	400000	480000	0
18	बिजनौर	4	0	4	60000	400000	240000	0
19	उन्नाव	5	0	5	60000	400000	300000	0
20	झांसी	3	0	3	60000	400000	180000	0
21	वाराणसी	5	0	5	60000	400000	300000	0
22	एटा	1	0	1	60000	400000	60000	0
23	लखनऊ	1	0	1	60000	400000	60000	0
24	हमीरपुर	0	1	1	60000	400000	0	400000
25	महोबा	0	1	1	60000	400000	0	400000
26	आगरा	3	0	3	60000	400000	180000	0
	योग	120	2	122	60000	400000	7200000	800000


बिन्दु संख्या-1 (दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रदान की जा रही धनराशि) के अनुसार गर्भधारण के 234 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 70,20,000/- (रु० सत्तर लाख बीस हजार मात्र) व जटिलता के 03 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 61,971/- (रु० इक्सट हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) कुल 237 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 70,81,971/- (रु० सत्तर लाख इक्यासी हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) का भुगतान उपरोक्त जनपदों को करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।


बिन्दु संख्या-2 समिति द्वारा सर्वसम्मति से (दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रदान की जा रही धनराशि) के अनुसार गर्भधारण के 120 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 72,00,000/- (रु० बहत्तर लाख मात्र) व मृत्यु के 02 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 8,00,000/- (रु० आठ लाख मात्र) कुल 122 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 80,00,000/- (रु० अस्सी लाख मात्र) का भुगतान उपरोक्त जनपदों को करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।


dk


इस तरह 359 दावा प्रपत्रों की कुल धनराशि रू० 1,50,81,971/- ( रू० एक करोड़ पचास लाख इक्यासी हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) उपरोक्त जनपदों को अवमुक्त करने की संस्तुति प्रदान की जाती है।

  
(डा० शुक्रा सिंह)  
इम्पेनल्ड स्त्री रोग विशेषज्ञ,  
अव० महि० चिकित्सालय, लखनऊ  
सदस्य

  
(डा० लक्ष्मी सिंह)  
महानिदेशक,  
संयोजक

  
( डा० ए०के० शर्मा )  
सर्जन,  
श्या०प्रसा०मुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ  
सदस्य

  
(डा० अश्विनी कुमार)  
संयुक्त निदेशक(प०क०),  
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ  
सदस्य सचिव

  
(अनुराग उपाध्याय),  
मिशन निदेशक,  
अध्यक्ष